

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प० ८(२) राज/वाद/१२पार्ट-१

जयपुर, दिनांक २९-६-२०२२

:: आदेश ::

विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ प्रकरण सं०२ चित्तौड़गढ़/ सं०२ मेड़ता/ सं०२ सीकर/ नागौर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता संवर्ग के विशिष्ट लोक अभियोजक तथा इनके स्टाफ के पद लेखामद २०१४-००-११४-०१-००-०१ (राज्यनिधि) में निम्नानुसार पदों के सृजन की एतद्वारा राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	पद नाम	कुल सृजित पद	पे बेंड/ग्रेड पे
१	विशिष्ट लोक अभियोजक	४	रू० २०,१६०/- प्रतिमाह (निश्चित) रिटेनरशिप
२	शीघ्र लिपिक	४	९३००-३४८००, ग्रेड पे- ३६००/-
३	क्लर्क ग्रेड-आ	४	५२००-२०२००, ग्रेड पे- २४००/-
४	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	४	५२००-२०२००, ग्रेड पे -१७००/-

उपरोक्त नव सृजित पदों का कार्यालय वार विवरण निम्नानुसार है :-


क्र०सं०	पद नाम	पदों की संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	पद नाम	पदों की संख्या
१	विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ प्रकरण सं०२, चित्तौड़गढ़	०१	शीघ्र लिपिक	०१	क्लर्क ग्रेड-आ	०१	च०श्रे० कर्मचारी	०१
२	विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ प्रकरण सं०२, मेड़ता	०१	शीघ्र लिपिक	०१	क्लर्क ग्रेड-आ	०१	च०श्रे० कर्मचारी	०१
३	विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ प्रकरण सं०२, सीकर	०१	शीघ्र लिपिक	०१	क्लर्क ग्रेड-आ	०१	च०श्रे० कर्मचारी	०१
४	विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ प्रकरण, नागौर	०१	शीघ्र लिपिक	०१	क्लर्क ग्रेड-आ	०१	च०श्रे० कर्मचारी	०१

उपरोक्त नवसृजित कार्यालयों हेतु नवीन आईटम हेतु लेखामद २०१४-००-११४-०१-००-०५ कार्यालय व्यय (राज्य निधि) में उपलब्ध प्रावधान में से व्यय करने की सहमति प्रदान की जाती है, यह उपापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम २०१२ एवं नियम २०१३ के प्रावधानों की पालना करते हुये किया जावे:-

क्र०सं०	फर्नीचर का नाम	संख्या	अनुमानित दर	अनुमानित व्यय
१	टेबिल	१२ (प्रत्येक विशिष्ट लोक अभियोजक कार्यालय हेतु ०३)	७०००/-	८४,०००/-
२	कुर्सी	३२ (प्रत्येक विशिष्ट लोक अभियोजक कार्यालय हेतु ८)	२०००/-	६४,०००/-
३	आलमारी	०८ (प्रत्येक विशिष्ट लोक अभियोजक कार्यालय हेतु ०२)	१०,०००/-	८०,०००/-
४	विविध अन्य कार्यालय सामग्री	प्रत्येक कार्यालय हेतु राशि १००००/-रू०	१००००/-	४०,०००/-
			योग	०२,६८,०००/-

नवसृजित कार्यालय, पदों एवं नियमानुसार उपरोक्त फर्नीचर क्रय करने की स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी सं० १०२२०३६१० दिनांक २४.०६.२०२२ द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।


आज्ञा से,


२९/६/२२
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

लगातार/-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी (जीएसवाई) माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, गृह(विधि)।
5. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़/सीकर/मेड़ता जिला नागौर।
6. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं02 चित्तौड़गढ़/ सं02 मेड़ता/ सं02 सीकर/ नागौर।
7. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़/सीकर/नागौर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नवीन आइटम वर्ष 2022-23 में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान से तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए क्य किया जाना सुनिश्चित कर संबंधित कार्यालयों को उपलब्ध कराये।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
9. कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़/सीकर/नागौर।
10. संबंधित कार्यालय।
11. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वांछित बजट संबंधित जिला कलक्टर को आवंटित करें।
12. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


29/6/22
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

(19)